तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/04/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस अंतिम सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीनी ने कथन किया कि वादीनी के पिता देवा आत्मज रतना जाति मेघवाल की खातेशुदा आराजी ग्राम खेराबाद ख.नं. 5025/2175, 2204, 2205, 2208, 2189, 2203 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि रही है। पिता की मृत्यु के बाद वर्ष 2022 से वादीनी बतौर लिखित खातेदार काबिज है। भू-प्रबंध सं. 2014-2033 में सम्बन्धित ख.नं. 2175 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, ख.नं. 2205 रकबा 09 बिस्वा, ख.नं. 2208 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर नवीन ख.नं. 2239 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा कायम होना बताया गया। परन्तु नवीन ख.नं. 2239 को गलती से प्रतिवादी क्र.1 के पिता लक्ष्मीनारायण आत्मज गौरीशंकर जाति ब्राह्मण के नाम खाते दर्ज कर दी गयी है। जबकि इस भूमि पर प्रतिवादी क्र.1 कभी काबिज नहीं रहा। ख.नं. 2239 के नवीन ख.नं. 2400 रकबा 1.48 हैक्टर बने है जो वर्तमान में प्रतिवादी क्र.1 के नाम खाते दर्ज है। अतः उक्त आराजी को प्रतिवादी क्र.1 के खाते से नाम खारिज कर वादीनी के नाम दर्ज खाता करने बाबत उद्घोषणा डिक्री किये जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। वकील प्रतिवादी क्र.1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा के अनुसार - वाद पत्र की पद नं.1 में वर्णित पुराने ख.नं. 5025/2175 2204, 2205, 2208, 2189, 2203 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीनी के पिता देवा s/o रतना की खातेदारी में नहीं रही है।	Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	वादीनी द्वारा प्रस्तुत नकल - खसरा औराबाद (मु.प्रबंध विभाग) तहसील ग्राम औराबाद संवत् 2010 में ख.नं. 2175 2 बीघा 19 बिस्वा तथा ख.नं. 2208 की 5 बीघा 15 बिस्वा तथा ख.नं. 2205 की 09 बिस्वा कुल 09 बीघा 3 बिस्वा जिसके नवीन ख.नं. 2239 बने है उक्त आराजी लक्ष्मीनारायण बेटा गौरीशंकर कौम ब्राह्मण के खातेदारी में दर्ज है 2239 के नवीन ख.नं. 2400 रकबा 1.48 है. प्रतिवादी क्र.1 राधेश्याम एवं राजाराम के शामलाती खातेदारी में दर्ज थी। जो कि नामांतरकरण सं. 2692 से राजाराम का नाम खाते से खारीज हुआ। प्रतिवादी क्र.1 द्वारा उक्त भूमि पर अपने कब्जे की पुष्टि हेतु नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2067, 2068, 2069, 2070 प्रस्तुत की है, जिनसे भूमि पर 'फसल' होने की पुष्टि होती है। प्रतिवादी क्र.1 के आवेदन पर तहसील द्वारा पैमाईश का पत्थरगढ़ी करवायी गयी, जिसके बाद से दोनों पक्ष अपनी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज है प्रतिवादी क्र.1 द्वारा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 24.7.2015 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी। वादीनी के वाद पत्र में कथन मिथ्या व मनगढंत है। प्रतिवादी क्र.1 के वर्तमान ख.नं. 2400 रकबा 1.48 है. खाते व कब्जे की भूमि से वादीनी का कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। अत: प्रतिवादी क्र.1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वाद वादीनी खारीज किये जाने का निवेदन किया गया है। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण में निम्न विवादक बिन्दु/तनकीयात कायम की गयी है –	
	(1). आया वादग्रस्त भूमि ग्राम खेराबाद 5025/2175, 2204, 2205, 2208, 2189, 2203 कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादिया की पैतृक सम्पत्ति है जिसकी पुष्टि हेतु वकील वादिया द्वारा नकल खाता (भू.प्रबंध विभाग) संवत 1999, से 2002 (प्रदर्श-1) तथा प्रदर्श-2 नकल खाता (भू.प्रबंध विभाग) संवत 2007-2010 प्रस्तुत किया गया जिससे उक्त आराजी संवत 1999 से 2001 तक वादिया के पति स्व. देवा पुत्र रतना के नाम तथा संवत 2002 में इ.नं. 2531 से लादूराम बेटी नी.बा. देवा जी मेघवाल वली शंकर दर्ज रिकार्ड होकर संवत 2010 तक बदस्तूर अंकन होने की पुष्टि होती है।	
	(2). आया पुराने ख.नं. 5025/2175, 2208, 2205 के नवीन ख.नं. 2239 को वादिया के स्थान पर भू.प्रबंध विभाग द्वारा त्रुटिपूर्वक प्रतिवादी क्र.1 के पिता के नाम खाते दर्ज कर दिया है, जो दुरुस्ती योग्य है। इन तनकी को सही सिद्ध करने का जिम्मा वादियां स्वयं का था, परन्तु वादिया द्वारा ऐसा कोई लिखित दोषपूर्ण अथवा दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि पुराने ख.नं. 5025/2175, 2208, 2205 के नवीन ख.नं. 2239 कायम किये गये हो। अतः यह तनकी वादिया के खिलाफ तय की जाती है।	
	Chu उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(3). आया वादिया द्वारा ख.नं. 2400 ~~रकबा~~ 1.48 हैक्टर (जो प्रतिवादी क्र.1 के नाम से खारिज करवाकर स्वयं के नाम दर्ज करवाने की इच्छा है) उक्त तनकी को स्पष्ट सिद्ध करने का दायित्व वादिया का था, परन्तु वादिया द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य रिकार्ड/दस्तावेज हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि खसरा नं. 2400 रकबा 1.48 हैक्टर वही भूमि है, जिसे वादिया ने अपने वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित करते हुये अपने पिता तथा पिता के बाद स्वयं के स्वामित्व की भूमि होना बताया है। अतः यह तनकी वादिया के खिलाफ तय की जाती है।	
	(4). आया वादिया वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी क्र.1 के विरुद्ध वांछित स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त तनकी के सम्बंध में न्याया. की नि.नं. 65/2014 में निर्णय दिनांक 16.6.2015 से मूल वाद के निस्तारण तक 'यथास्थिति' के आदेश पारित हो चुके हैं। अतः यह तनकी वादिया के पक्ष में तय की जाती है।	
	(5). आया ख.नं. 2175, 2189 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा लक्ष्मीनारायण पु. गौरीशंकर की भूमि है, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्र.1 व उनके भाई रामनारायण की भूमि है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी क्र.1 का था। प्रतिवादी क्र.1 के द्वारा प्रस्तुत नकल खाता संवत 2007-2010 (प्र. संदर्भ चिन्हित) से पुष्टि हो जाने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।	
	Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(6). आया ख.नं. टाप 2400 रकबा 1.48 हे. की भूमि है जिस पर वह प्रतिवादी क्र.1 अपने पिता के समय से ही काबिज है उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी क्र.1 का था। प्रतिवादी क्र.1 के द्वारा नकल जमाबंदी सं. 2055-58 ख.नं. 2239 रकबा 9बीघा 3बिस्वा भूमि राधेश्याम, रामारतन पु. लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण के खाते की प्रस्तुत की है, जिसमें आर्डर नोट - नामां. 2692 दिनांक 5.6.2006 से मृतक रामारतन का नाम खारिज होना अंकित है। प्रस्तुत नकल मिलान खसरा (भू-प्रबंध) सं. 2004-2014 (प्रदर्श 6) के अनुसार गत ख.नं. 2239 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा के वर्तमान ख.नं. 2400 रकबा 1.48 हैक्टर कायम होना पाया जाता है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत् 2068-2071 (प्रदर्श-5) के अनुसार ख.नं. 2400 रकबा 1.48 हे. भूमि प्रतिवादी क्र.1 राधेश्याम पु. लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण के नाम खाते दर्ज रिकार्ड होना सिद्ध होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्र.1 के पक्ष में तय की जाती है। (7). आया वादिया के कायम-मुकाम मूलचंद द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा कूटरचित व फर्जी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी क्र.1 का था। पत्रावली में उपलब्ध अपंजीकृत वसीयत के संबंध में तहसीलदार के निर्णय दिनांक 30-3.2015 के अनुसार स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति दिनांक 28.2.2015 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी, जिसके सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं पाते हुये तहसीलदार द्वारा वसीयत अनुसार रिकार्ड में अमल-दरामद किये जाने के आदेश पारित किये गये है। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार के आदेश की पालना में नामांतरकरण सं. 173 दिनांक 28.7.15 (प्रदर्श-7) से उक्त विवादित ख.नं. के अतिरिक्त सभी भूमियां फूलचंद के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है। अत: यह तनकी प्रतिवादी क्र.1 के खिलाफ तय की जाती है। (8). आया प्रतिवादी क्र.1 वादग्रस्त भूमि पर वादिया (पूर्व कायम मुकाम) के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि, तनकी सं.(2) के अनुसार वादिया यह सिद्ध करने में असफल रही है कि उसके स्वामित्व की भूमि के ख.नं. 5025/2175, 2208, 2205 के नवीन ख.नं. 2239 बने हो। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी क्र.1 के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 2239 तथा वादिया की वादग्रस्त भूमि में भिन्नता होने से प्रतिवादी-1 वादिया के कौ.मु. के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। यह तनकी प्रति.1 के पक्ष में तय की जाती है। (9). आया धारा 42 राज. काश्तकारी अधि. 1955 का वाद पर क्या असर है। प्रतिवादी क्र.1 के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 2239 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा के वर्तमान ख.नं. 2400 रकबा 1.48 हैक्टर भूमि पूर्व में कभी वादिया की अथवा उसके पूर्वजों के नाम रही हो, ऐसा कोई दस्तावेज हमारे समक्ष नहीं है। विवादित भूमि के नवीन ख.नं. 2239 रहे हो यह भी किसी दस्तावेज से प्रमाणित नहीं होने से वादिया व प्रति.1 की भूमि पृथक-पृथक भूमि होने के कारण धारा 42 RTA प्रभावित नहीं है। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(10) अतः प्रतिवादी क्र.1 के द्वारा स्वयं के खाते की भूमि ख.नं. 2400 रकबा 1.48 हैक्टेयर, जिसके स्वामित्व ख.नं. 2239 रहे हैं, को पंजीकृत विक्रय-पत्र दिनांक 15.01.2019 से कान्ता सेन D/o प्रभुलाल सेन को बेचान कर दिये जाने से प्रकरण में क्रेता - कान्ता सेन पुत्री प्रभुलाल सेन आवश्यक पक्षकार बनाये जाने की अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व स्वयं क्रेता (प्रतिवादी क्र.3) पर था। क्रेता-(प्रतिवादी क्र.3) द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 19.3.21 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2019 एवं नकल जमाबन्दी सं. 2072-75 से ख.नं. 2400 रकबा 1.48 है. भूमि वर्तमान में कान्ता सेन पुत्री प्रभुलाल सेन के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होने की पुष्टि होती है। यह तनकी प्रतिवादी क्र.3 के पक्ष में तय की जाती है। उपरोक्तानुसार तनकीवार विवेचन उपरान्त प्रकरण में वादिया की विवादित आराजी गत ख.नं. 5025/2215, 2205, 2208 के नवीन ख.नं. 2239 बने हो ऐसा कोई निशान सीमाज्ञान अथवा दस्तावेज हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं होने से यह सिद्ध नहीं होता कि ख.नं. 2239 के खातेदार वर्तमान प्रतिवादी क्र.3 अथवा उससे पूर्व प्रतिवादी क्र.1 कभी वादिया के स्वामित्व की भूमि पर काबिज रहे हो। प्रतिवादी क्र.1 के स्वामित्व की भूमि, वादिया की भूमि से पृथक भूमि होना प्रतीत होती है। अतः वाद वादिया खारिज किया जाता है। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को सुनाया गया। फैसला शुदा होकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। Che चारु, IAS. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	